न्यायालय सिविल जज(सी०डि०), सम्भल स्थित चन्दौसी।

वाद संख्या- / 2024

हरिशंकर जैन आदि बनाम भारत संघ आदि।

19.11.2024

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 18 के अनुसार विषयगत सम्पत्ति तक पहुँच के अधिकार का दावा दायर किया है। कथित जामी मस्जिद की प्रबन्धन समिति को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को भेजे गये आवेदन दिनांक 29.07.2024 एवं नोटिस दिनांक 21.10.2024 के बारे में पता चल गया है और वे हिन्दू मन्दिर की कलाकृतियों, चिन्हों और प्रतीको को जल्दबाजी में हटाने का इरादा रखते हैं। मुकदमा दायर करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रबन्धन समिति/प्रतिवादी संख्या 6 उनके कार्यकर्ता और समर्थक मन्दिर के हिन्दू प्रतीकों चिन्हों और कलाकृतियों को हटाकर सम्पत्ति की प्रकृति को बदल सकते हैं। अतः वादी को नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

प्रार्थनापत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से डी0 जी0 सी0 सिविल ने नकल प्राप्त कर आदेश पत्र पर पृष्ठांकन किया है तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र की नकल प्राप्त होने का पृष्ठांकन किया गया है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 3 ग के माध्यम से प्रार्थनापत्र धारा- 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस की अवधि व्यतीत किये बिना दावा प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण भारत संघ आदि के विरुद्ध संस्थित किया जा रहा है। ऐसी दशा में वाद के तथ्यों व परिस्थितयों को देखते हुए आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को 80(2) सी०पी०सी० के तहत नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दावा वादी बाद मुन्सरिम आख्या सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (सी०डि०),
सम्भल स्थित चन्दौसी।

Digitally signed by ADITYA SINGH
Date: 2024.11.19 13:27:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court